

कन्या भ्रूण हत्या : एक अभिशाप

श्रीमति ज्योति ध्यानी
रूड़की

प्रकृति की हर वस्तु एवं प्राणी में स्वाभाविक संतुलन देखा जाता है, किन्तु मानव ने प्रकृति के दोहन की आदत के फलस्वरूप अपने स्वार्थ के लिए इस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य किया है। इसने न केवल औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरण का दोहन कर प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ा है, बल्कि स्त्रियों के साथ अन्याय कर, स्त्री-पुरुष के लिंगानुपात को भी घटाने का अमानवीय कार्य किया है। स्त्री-पुरुष लिंगानुपात में पिछले कुछ दशकों में आई भारी गिरावट का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है। प्रौद्योगिकीय प्रगति के फलस्वरूप अब गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच कराना आसान हो गया है। गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के बाद मादा भ्रूण होने की स्थिति में उसे मां के गर्भ में ही खत्म कर देना, कन्या भ्रूण-हत्या कहलाता है।

कन्या भ्रूण हत्या आज एक ऐसी अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है, जो कई और गंभीर समस्याओं की भी जड़ है। इसके कारण महिलाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है। भारत में सन् 1901 ई. में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं। सन् 1991 ई. में महिलाओं की यह संख्या घटकर 927 हो गई। सन् 1991 से 2011 के बीच महिलाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, जिसके फलस्वरूप 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हो गया। सामाजिक संतुलन के दृष्टिकोण से देखें तो यह वृद्धि भी पर्याप्त नहीं है। भारत के कुछ राज्यों में यह अनुपात बहुत कम है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जैसे कुछ राज्यों में प्रति एक हजार पर स्त्रियों की जनसंख्या 900 से भी कम है। केवल केरल एक ऐसा राज्य है, जहां प्रति हजार पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या अधिक (1058) है।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कई कारण हैं। प्राचीन काल में भारत में महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे। किन्तु विदेशी आक्रमणों एवं अन्य कारणों से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से विचित्र किया जाने लगा एवं समाज में पर्दा-प्रथा, सती-प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त हो गई। महिलाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं होने का कुप्रभाव समाज पर भी पड़ा। लोग महिलाओं को अपने सम्मान का प्रतीक समझने लगे। धार्मिक एवं सामाजिक रूप से पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाने लगा एवं महिलाओं को घर तक ही सीमित कर दिया गया। इसके कारण संतान के रूप में नर शिशु की कामना करने की गलत परम्परा समाज में विकसित हुई। संतान प्राप्ति की प्रक्रिया में गर्भधारण महिला को ही करना पड़ता है। विवाह पूर्व गर्भधारण को हमारा समाज पाप मानता है। जिस परिवार की किशोरी ऐसा करती है, समाज में उसकी निन्दा की जाती है। इसके अतिरिक्त यौन-संबंध बनाने की स्थिति में महिला की ही निन्दा अधिक की जाती है। इसे समाज ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इन्ही कारणों से लोग चाहते हैं कि भविष्य में अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की किसी आशंका से बचने के लिए वे सिर्फ नर शिशु को ही जन्म दें। कोई भी महिला अपनी गर्भस्थ संतान को मारना नहीं चाहती, भले ही वह कन्या शिशु ही क्यों न हो, लेकिन परिजन विभिन्न कारणों से उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या का एक बड़ा कारण दहेज-प्रथा है। लोग लड़कियों को पराया धन समझते हैं और उनकी शादी के लिए दहेज जमा करने के लिए कई परिवारों को कर्ज भी लेना पड़ता है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए लोग गर्भावस्था में ही लिंग-परीक्षण करवा कर कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उसकी हत्या करवा देते हैं।

पूर्व में हमारे समाज में महिलाओं से अधिक पुरुषों को महत्व दिया जाता था। महिलाएं पूर्णतः पुरुषों पर निर्भर होती थी। परिवार का पुरुष सदस्य ही परिवार के भरण-पोषण के लिए धनोपार्जन करता था। आज के बदलते परिवेश में भी कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। उन्हें सिर्फ घर के काम-काज तक सीमित रखा जाता है। संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने के बाद भी उनके प्रति सामाजिक भेद-भाव में कमी नहीं हुई है। इसीलिए परिवार के लोग भविष्य में परिवार की देखभाल करने वाले के रूप में नर-शिशु की कामना करते हैं। भारतीय समाज में यह अवधारणा रही है कि वंश पुरुषों से ही चलता है, महिला से नहीं। इसलिए सभी लोग अपनी वंश परम्परा को कायम रखने के लिए नर-शिशु की चाह रखते हैं एवं उन्हें महिला-शिशु की तुलना में अधिक लाड़-प्यार देते हैं।

किसी भी देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है, जब तक वहां की महिलाओं को प्रगति के पर्याप्त अवसर न मिले। जिस देश में महिलाओं का अभाव हो, उसके विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। साक्षर महिला ही अपने अधिकारों की रक्षा कर पाने में सक्षम होती है। कन्या भ्रूण-हत्या पर नियंत्रण कर इसे समाप्त करने में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए हमें महिला-शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। महिला परिवार की धुरी होती है। समाज के विकास के लिए योग्य माताओं, गृहणियों एवं पत्नियों के रूप में पर्याप्त संख्या में महिलाओं का होना आवश्यक है। यदि महिलाओं की संख्या में कमी होती रही तो सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा एवं समाज में बलात्कार, व्यभिचार, इत्यादि में वृद्धि होने लगेगी।

भारत में भ्रूण हत्या को कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सका है। लोग चोरी-छिपे एवं पैसे के बल पर इस कुकृत्य को अभी भी अंजाम दे रहे हैं। कन्या भ्रूण-हत्या एक सामाजिक अभिशाप है और इसे रोकने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही इस कुकृत्य को रोका जा सकता है। कानून तब तक कारगर नहीं हो सकता, जब तक कि उसे जनता का सहयोग न मिले। जनता के सहयोग से ही किसी अपराध को रोका जा सकता है। कन्या भ्रूण-हत्या एक ऐसा अपराध है, जिसमें परिवार एवं समाज के लोगों की भागीदारी होती है। इसलिए जागरूक नागरिक ही इस कुकृत्य को खत्म करने में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए प्रयासरत हैं। इस कार्य में मीडिया भी अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि जनता भी अपने कर्तव्यों को समझते हुए कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक कलंक को मिटाने में समाज का सहयोग करें।

